

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम०के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ७२१०-एक/२०१६ विरुद्ध आदेश
 दिनांक ३/०४ एंव २२-७-२०१६ - पारित व्यारा -
 कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा - प्रकरण क्रमांक
 २९ बी-१०५/२००३-०४

मोतीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति
 मर्या० छिन्दवाड़ा अध्यक्ष दुर्गेश सिंग वर्मा
 पुत्र मदन सिंह वर्मा साकिन शिक्षक नगर
 खजरी छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवारत्तव)

(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक ४-१२-२०१६ को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा व्यारा
 प्रकरण क्रमांक २९ बी-१०५/२००३-०४ में पारित आदेश दिनांक
 ३/०४ एंव दिनांक २२-७-१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(M)

R/S/X

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि मोतीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० छिन्दवाड़ा ने गृह निर्माण प्रयोजन के लिये भूमि लेकर दस्तावेज क्रमांक 2613 दिनांक 15.1.1999 (आगे जिसे वादग्रस्त दस्तावेज सम्बोधित किया गया है) को पंजीयन कराया। महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर ने उप पंजीयक कार्यालय छिन्दवाड़ा का निरीक्षण किया तथा वादग्रस्त दस्तावेज का मूल्य 285750/- कम मूल्यांकन की आपत्ति की। इस आपत्ति पर से कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा ने प्रकरण क्रमांक 29 बी-105/ 2003-04 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई हेतु आवेदक संस्था को सूचना पत्र भेजा। संस्था के पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय आदेश दिनांक 3/04 पारित किया तथा संपत्ति के बाजार मूल्य पुर्वनिर्धारण 10,28,700/- करते हुये मुद्रौक शुल्क 101584/-, पंजीयन शुल्क 8377/- कुल रूपये 109961/- जमा करने के आदेश दिये। संस्था के पदाधिकारियों को उक्त का पता माह जनवरी 2016 में चलने पर कलेक्टर आफ स्टाम्प को आवेदन देकर आदेश दिनांक 3/04 के पुनरावलोकन करने एंव उन्हें सुने जाने की प्रार्थना की, जिस पर से कलेक्टर आफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा ने प्रकरण क्रमांक 29 बी-105/ 2003-04 में आदेश दिनांक 22-7-12 पारित किया तथा स्टाम्प अधिनियम में पुनरावलोकन का प्रावधान न होना अंकित करते हुये आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। आवेदक ने कलेक्टर आफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 3/04 तथा आदेश दिनांक 22-7-12 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन पक्ष के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

M

R/N

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- (1) क्या कलेक्टर आफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा द्वारा आवेदक के विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त कर पुर्णसुनवाई करने हेतु सक्षम हैं ?
- (2) क्या विक्रय पत्र संपन्न हो जाने के लम्बे अंतराल वाद विक्रय पत्र का पुर्णविलोकन करके केता पर विक्रय मूल्य का पुर्ण-निर्धारण करते हुये वसूली की कार्यवाही की जा सकती है ?

उक्त की समीक्षा करने पर स्थिति यह है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में पुनरावलोकन की शक्तियाँ न होना कलेक्टर आफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा ने आदेश दिनांक 22-7-16 में अंकित किया है, किन्तु जब कलेक्टर आफ स्टाम्प यह समझते हैं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है, उनके द्वारा दिनांक 15-1-1999 को पंजीयन हुये दस्तावेज का पुनरावलोकन वर्ष 2003-04 में किस आधार पर किया है आदेश दिनांक 3/04 में तथा आदेश दिनांक 22-7-16 में स्पष्ट नहीं किया है जिसके कारण कलेक्टर आफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा के दोनों ही आदेश दूषित हैं। सामान्य सिद्धांत है कि जब एक वार सन्तुष्टि उपरांत विक्रय पत्र का संपादन हो गया तथा शासन द्वारा निर्धारित गाइड लायन के मान से स्टाम्प ड्यूटी ले ली गई, केता से पुनः 5 वर्ष उपरांत स्टाम्प ड्यूटी पुर्णनिर्धारित कर नहीं वसूली जा सकती। फलतः कलेक्टर आफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा द्वारा पारित आदेश

(M)

R/16

दिनांक ३/०४ तथा आदेश दिनांक २२-७-१६ दोषपूर्ण हैं, जिसके कारण उन्हें इथर नहीं रखा जा सकता।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ राम्प छिन्वाड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक २९ बी-१०५/२००३-०४ में पारित आदेश दिनांक ३/०४ एवं २२-७-१६ त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं निगरानी खीकार की जाती है।

(एम०के०सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर